UPPCL

# उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या– 869 –औ0सं0 / 2014–26 (2) ए0एस0 / 06

दिनांक 12 मार्च, 2014

**सर्वोच्च प्राथमिकता**

अति महत्वपूर्ण

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमान्चल / पूर्वान्चल / मध्यान्चल / दक्षिणान्चल / केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
मेरठ / वाराणसी / लखनऊ / आगरा / कानपुर।

विषय : **वाह्य सेवा प्रदाता–आउट सोर्सिंग–(ठेकेदारों / संविदाकारों) द्वारा उपकेन्द्रों / लाइनों के अनुरक्षण आदि के कार्य पर नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध मे श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के परिपत्र सख्या–1381–औ0सं0 / 2012–26 (2) ए0एस0 / 06 दिनांक 15.05.2012 एवं सख्या–2402–औ0सं0 / 2012–26 (2) ए0एस0 / 06 दिनांक 09.08.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वाह्य सेवा प्रदाता / कार्यदायी संस्था द्वारा नियोजित संविदा कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान चेक के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा कराये जाने, इन श्रमिकों का दुर्घटना बीमा कराये जाने, संविदा में प्रशिक्षित कार्मिको को नियोजित करने, सुरक्षा व श्रम कानूनो का कडाई से पालन सुनिश्चित करने, ई0पी0एफ0 की कटौती सुनिश्चित करने, (ठेकेदारों / संविदाकरों) के माध्यम से उपकेन्द्रों / लाइनों के अनुरक्षण हेतु लगाये गये संविदा श्रमिकों का विवरण व सूची समस्त उपकेन्द्रों पर रखने के साथ–साथ यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रश्नगत विषय में समय–समय पर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेशो का अनुपालन न करने वाले कार्मिको / अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

कारपोरेशन प्रबन्धन के समक्ष विभिन्न माध्यमों, कर्मचारी संगठनो से यह संज्ञान में आ रहा है कि संविदा श्रमिकों के सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशो का अनुपालन क्षेत्रीय अधिकारियो द्वारा निष्ठापूर्वक नहीं किया जा रहा है। **इस सम्बन्ध में दिनांक 12.02.2014 को हुई वीडियो कान्फ्रेसिंग मे भी संविदा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान, ई0पी0एफ0, दुर्घटना बीमा सहित अन्य निर्देश दिये गये थे।** इसी क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :–

(1) संविदाकार द्वारा नियोजित कर्मकारों को नियमित रूप से प्रतिमाह 15 तारीख को मजदूरी भुगतान चेक के माध्यम से खण्डीय अधिकारी / उसके प्रतिनिधि के समक्ष भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें, इस हेतु माह के प्रारम्भ में ही मजदूरी धनराशि अवमुक्त कराये जाने हेतु फण्ड की माँग सम्बन्धित खण्ड द्वारा नियमित रूप से डिस्काम की लेखा इकाई को प्रस्तुत किया जाये।

(2) संविदाकार के माध्यम से नियोजित कार्मिको हेतु अनुभवी कार्मिकों एवं आई0टी0आई0 प्रशिक्षु को वरीयता दी जाय।

(3) संविदा पर कार्मिको को लिये जाने के सम्बन्ध में टेण्डर का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय तथा इसे बेवसाइट पर भी डाला जाय। संविदाकार द्वारा नियोजित किये जाने वाले कार्मिकों का विवरण उनके फोटो तथा श्रम कानून के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंस सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

क्रमशः......2

पी0ओ0

(4) टेण्डर फाइनल करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि ठेकेदार/संविदाकार का पूर्व ट्रैक रिकार्ड क्या है, उसने कहाँ–कहाँ पर कार्य किया है, तथा कितने मजदूर संविदा पर कार्य हेतु नियोजित किये है एवं पूर्व कार्य अवधि में कितने श्रमिकों की दुर्घटनाएं हुयी है।

(5) संविदाकार/ठेकेदार को प्रतिमाह भुगतान के समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सम्बन्धित संविदा श्रमिकों के सम्बन्ध में ई0पी0एफ0 की कटौती विगत माह की मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में प्रेषित की जा चुकी हो।

(6) जनवरी–2014 की मजदूरी में से ई0पी0एफ0 अंशदान भविष्यनिधि आयुक्त कार्यालय में जमा किये गये जाने की पुष्टि व प्रमाण–पत्र कर ही अप्रैल–2014 का भुगतान संविदाकार को किया जाये एवं प्रतिमाह दो माह पूर्व की पुष्टि सुनिश्चित की जायें।

(7) वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से विद्युत अनुरक्षण कार्य में लगाये गये संविदा कर्मियों को निदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप अनुरक्षण कार्य के लिये आवश्यक टी0एण्ड पी0, सुरक्षा उपकरण यथा दस्ताने, प्लायर, सुरक्षा बैल्ट आदि की व्यवस्था संविदाकार द्वारा सुनिश्चित कराई जाये।

(8) संविदाकार द्वारा अपने कर्मकारों का दुर्घटना बीमा/ई0एस0आई0 में बीमा अंशदान सुनिश्चित कराया जाये जिससे दुर्घटना आदि की स्थिति में कर्मकार को उपचार व क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके।

(9) वाह्य सेवा प्रदाता के कर्मकारों की विद्युतीय दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु भारतीय विद्युत नियमावली–1956 के प्राविधानों के अनुसार वर्क परमिट **(Work-Permit)** प्रारूप संलग्न है, निर्गत कर अधिकृत कर्मकार के माध्यम से कार्य सम्पादन किया जाना एवं शटडाउन के रूल्स के अनुसार विद्युत लाइन बन्द व चालू कराये जाने की समुचित व्यवस्था सुशिचित की जाये।

(10) लाइनों व उपकेन्द्रों के अनुरक्षण और परिचालन हेतु वाह्य सेवा प्रदाता को कार्य दिये जाने के समय कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट–1970 के अर्न्तगत सम्बन्धित क्षेत्रीय उपश्रमायुक्त कार्यालय में अधीक्षण अभियन्ता (अनुबन्धकर्ता) द्वारा प्रिन्सिपल इम्पलायर का पंजीकरण कराया जाना तथा संविदाकर द्वारा लाइसेन्स प्राप्त कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की स्थिति में संविदा अवैध समझी जायेगी एवं इसका पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता अधीक्षण अभियन्ता का होगा।

(11) संविदाकार के माध्यम से कार्यो पर नियोजित किये गये कर्मकारों के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश–2402 दिनांक 09.08.2012 एवं संख्या–2348 दिनांक 03.08.2012 का पालन सुनिश्चित किया जाना एवं निर्धारित प्रारूप में उपकेन्द्रों पर नियोजित किये गये संविदा श्रमिकों का विवरण व सूचना उपलब्ध कराया जाना।

(12) संविदा कर्मियों को फोटो युक्त पहचान पत्र सम्बन्धित संविदाकार एवं इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रदान किया जाय।

(13) कारपोरेशन के निर्देशो की अवहेलना करने वाले संविदाकार को ठेका न दिया जाय ओर उन्हें **'ब्लैकलिस्ट'** किया जाये साथ ही सम्बन्धित इकाई के दोषी अधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

क्रमशः......3

(13) कारपोरेशन के निर्देशो की अवहेलना करने वाले संविदाकार को ठेका न दिया जाय ओर उन्हें **'ब्लैकलिस्ट'** किया जाये साथ ही सम्बन्धित इकाई के दोषी अधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 का अनुपालन एवं ऐसे श्रमिकों के पंजीयन कराने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र संख्या –816–औसं / 2014 / 26(1) / ए0एस0 / 10 दिनांक 03.03.2014 द्वारा सभी प्रबन्ध निदेशकों को प्रेषित विस्तृत दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का निष्ठापूर्वक कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा समीक्षात्मक बैठक में डिस्काम की अद्यतन स्थिति से भी अवगत कराया जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष

संख्या– 869 – (1) औ0सं0 / 2014 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन–निगम, शक्ति भवन, लखनऊ।
(2) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
(3) निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) / (वितरण) / (वित्त) / (वाणिज्य) / (कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(4) समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष

5.3.14

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्तिभवन को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेश कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

12.3.14

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ

वर्क परमिट ( Work- Permit) प्रारूप

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
4–ए, गोखले मार्ग,
33/11 के0वी0 उपकेन्द्र ........................ ।

## कार्य करने का प्रार्थना पत्र

समय.............................................................दिनांक.........................................................................
मैं.........................................................................................ने निम्नलिखित कार्य करने की आज्ञा पायी तथा.......................................................से प्रार्थना करता हूँ कि.......................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................को ठण्डा/निर्जीव कर दिया जाये।

## कार्य का विवरण

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

हस्ताक्षर..............................................
पद.....................................................
दिनांक.................................................

## कार्य आरम्भ करने की आज्ञा

मैं...........................................................श्री.........................................................................को सूचित करता हूँ कि उपर्लिखित को दिनांक ..................................को...................................बजे ठण्डा/निर्जीव कर दिया गया हैं और अर्थ कर दिया है।

निम्नलिखित को खोलने की एवं अर्थ करने की कार्यवाही कर दी गई है।

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

हस्ताक्षर..............................................
पद.....................................................
दिनांक.................................................

कृ.पृ.उ.

## कार्य के इन्चार्ज की घोषणा

मैं..............................................................................यह घोषणा करता हूँ कि मै कार्य को अच्छी तरह से समझत जो इस आज्ञा–पत्र के अनुसार किया जाने वाला है। मैनें निरीक्षण द्वारा इस बात की स्वयं जांच कर ली ं वह हिस्सा जिस पर कार्य किया जाने वाला है इस आज्ञा पत्र में ठीक घोषित किया गया है।

हस्ताक्षर..........................................................

पद...................................................................

## कार्य समाप्त हो जाने का प्रमाण पत्र

मै.............................................................इस बात की सूचना देता हूँ कि इस आज्ञा पत्र में लिखा हुआ समाप्त हो गया है तथा मशीन/लाइन से आदमी हटा दिये गये है। निम्न खराबी पायी गयी थी।

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

हस्ताक्षर........................................................

पद.................................................................

समय.............................................................

## बिजली छोड़े जाने का प्रमाण पत्र

मै निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि मैने इस आज्ञापत्र के अनुसार कार्य का निरीक्षण कर लिया है मशीन/लाइन से पूर्णतया संतुष्ट हूँ, जो विद्युत प्रवाह के लिए तैयार है तथा बिजली छोड़ने की अनुमति देता

हस्ताक्षर........................................................

पद.................................................................

समय.............................................................